जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 25.09.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 22.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक 20.02.2004 को 01 अदद गोवंशीय पशु को मारते पीटते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय बरामद करते हुए मु0अ0सं0 073/2004 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर पर पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुधन पुत्र जहर निवासी गजौली शेख थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट व सम्पत्ति के नुकसान के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 22.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तों को मारपीट व सम्पत्ति के नुकसान के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000-3000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक 03.06.2010 को वादी श्री हरिशंकर चौधरी पुत्र रामदेव चौधरी द्वारा थाना बखिरा पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 718/2010 धारा 323, 427, 506 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रामशब्द 2. रामछैल पुत्रगण विश्वम्भर निवासीगण रक्सा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर धारा 323, 427, 506 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व 3000-3000रु0 जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिन का सादा कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 2500-2500रु0 पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 05 माह के कारावास व कुल 4,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 24.09.2025 को **मा0 न्यायालय – सी0जे0(जे0डी0)/एफटीसी द्वितीय संतकबीरनगर** द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 162/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त छोटू गिरी पुत्र ढोड़ई गिरी निवासी झुगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध के लिए 05 माह के कारावास व कुल 4000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 24.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक 04.05.2005 को अभियुक्त को 01 अदद अवैध कट्टा .12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 346/2005 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्बल ढाढी पुत्र झिन्नू ढाढी निवासी मड़हा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रु0 जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का सादा कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6002 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत भुजैनी डड़वा चौराहा से कालर द्वारा कार एवं स्कूटी का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.अयान अली पुत्र अज्जन अली 2.मो0 आलम पुत्र मो0 मुस्तफा निवासीगण नवाबगंज जनपद गोण्डा) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु०आ० गौतम कुमार, आरक्षी बबलू कुमार यादव, आ०चा0 अम्बरीश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 147 वाहनों से 2,06,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 147 वाहनों से 2,06,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह*** की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 335/2025 धारा 191(2)/115(2)/74/303(2)/324(4)/333/352/351(3)/118(1) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित बाल अपचारी को लोरीबारी परसोइया मोड़ के पास से आज दिनाँक 25.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 08.09.2025 को थाना बखिरा पर वादी की नाबालिग नातिन के साथ बाल अपचारी द्वारा जबरदस्ती करने की कोशिश करने व जाम माल की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 25.09.2025 को बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री नन्दलाल, का0 लवकेश यादव, का0 अंगद यादव।